झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–348 / 2019

अनम डैनियल कांदिर एवं अन्य ..... याचिकाकर्तागण

बनाम

तुबियस कांदिर ..... विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी**

याचिकाकर्ताओं के लिए : मो0 साजिद यूनुस, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री बिनोद कु0 झा, अधिवक्ता

आदेश संख्या 04 दिनांक–31.01.2020

यह सिविल विविध याचिका सी0एम0पी0 सं0 260 / 2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कुछ भ्रम और गलतफहमी के कारण वह मामले को काउज लिस्ट में चिन्हित नहीं कर सकता है, इसलिए जब मामले का पुकार किया गया था, तो वह अदालत के सामने पेश नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मामले को खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास उक्त सी0एम0पी0 सं0 260 / 2018 को प्रचालित करने के लिए बहुत अच्छा आधार है और जब तक कि इसकी मूल फाइल में इसे पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, याचिकाकर्ता अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए, यह निवेदन

किया जाता है कि सी0एम0पी0 सं0 260/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए।

विपरीत पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि विपरीत पक्ष संख्या 2 एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसे सेकेण्ड अपील संख्या 125/1992 (आर) दाखिल करके वर्ष 1992 से जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और इस सेकेण्ड अपील में कोई मेरिट नहीं है। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि विपरीत पक्ष संख्या 2 को याचिकाकर्ता द्वारा विपरीत पक्ष संख्या 2 को परेशान किये जाने के लिए दंडात्मक लागत द्वारा मुआवजा दिया जाए।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता के पूर्वोक्त सबमिशन के मद्देनजर, 10,000/– रूपये का भुगतान विपरीत पक्ष संख्या 2 की ओर से अभिलेख पर उपस्थित होने वाले वकील के माध्यम से छह सप्ताह के भीतर, करने के शर्त के अधीन सी0एम0पी0 सं0 260/2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है, जिससे विफल होने पर इस सशर्त आदेश को प्रभाव में नहीं लाया जाएगा और यह सिविल विविध याचिका खंडपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

अभिलेख पर विपक्षी पार्टी सं0 2 के लिए उपस्थित वकील के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा 10,000/– रू0 की लागत (कॉस्ट) के भुगतान का प्रमाण दाखिल करने के एक सप्ताह के बाद सी0एम0पी0 सं0 260/2018 को सूचीबद्ध करें।

इस सिविल विविध याचिका को तदनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)